

प्रेस नोट थाना रामगढताल गोरखपुर दिनांक 03.09.2022

नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने एवं कूटरचित/फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले दम्पति गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री कमलेश प्रताप सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर के नेतृत्व में उ0नि0 श्री शम्भूदयाल मिश्र मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के माध्यम से प्राप्त सूचना एवं उक्त पुलिस टीम की त्वरित सक्रियता से थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर पर पंजीक मु0अ0सं0 463/2021 धारा 419,420,467,468,471,406 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.मीना त्रिपाठी पत्नी उमेश त्रिपाठी 2.उमेश त्रिपाठी पुत्र रामधारी त्रिपाठी निवासीगण चारपान खुर्द, थाना बेलीपार, जिला-गोरखपुर को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता व अभियुक्त का नाम व पता -

1. मीना त्रिपाठी पत्नी उमेश त्रिपाठी
2. उमेश त्रिपाठी पुत्र रामधारी त्रिपाठी निवासीगण चारपान खुर्द, थाना बेलीपार, जिला-गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-463/2021 धारा 419,420,467,468,471,406 भादवि, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री कमलेश प्रताप सिंह, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 श्री शम्भूदयाल मिश्र, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर
3. आरक्षी सचिन यादव थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर
4. महिला आरक्षी प्रिया सिंह थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर